~~कैम्प कोर्ट~~

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– दिव्या (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 104/2019
जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2019/00217

1. कानाराम
2. मांगीलाल
3. रूपाराम
4. मोहनी
5. लादू

} पुत्र/पुत्रियां अन्नाराम

6. भंवरी पत्नी स्व. नारायणराम

7. पप्पूराम
8. सुखराम
9. सम्पू
10. तुलछा
11. सावित्री

} पुत्र/पुत्रियां नारायणराम

} जाति जाट निवासीगण ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर हाल बीदासर जिला चुरू

12. सुमन पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये कुदरतीवली माता भंवरीदेवी पत्नी स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर हाल बीदासर जिला चुरू ।

––वादीगण––

–बनाम–

1. अमरराम
2. चूनाराम
3. भंवरराम

} पुत्रगण स्व. मालाराम जाति जाट निवासीगण बीदासर हाल ग्राम हरीनगर तहसील बीदासर जिला चुरू

4. लिछमा पत्नी स्व. मालाराम जाति जाट निवासीगण बीदासर हाल ग्राम हरीनगर तहसील बीदासर जिला चुरू

4/1. लाधू
4/2. समेरी
4/3. चुकी
4/4. पप्पू
4/5. कमला
4/6. मैना
4/7. मानाराम
4/8. सुरजाराम
4/9. पनाराम

} पुत्र–पुत्रियां स्व. रामूराम जाति जाट निवासीगण बीदासर हाल ग्राम हरीनगर तहसी[illegible] जिला चुरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

4/10. तीजादेवी पत्नी स्व. शिवदान जाति जाट निवासी बीदासर जिला चुरू

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

4/11. सावित्री पुत्री स्व. शिवदान जाति जाट निवासी बीदासर जिला चुरू

5. जैसाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

7. प्रवंधक, पंजाव नेशनल वैंक, शाखा श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

––प्रतिवादीगण––

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट.</u>

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. श्री मांगीलाल नैण, अभिभाषक, वादीगण की ओर से।
2. श्री राजूराम बाना, अभिभाषक, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4, 4/1 ता 4/11 व 5 की ओर से।
3. श्री पैरोकारराज, राज्य की ओर से ।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 15/12/.2021

संक्षेप में प्रकरण से सम्बंधित तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण कानाराम पुत्र–पुत्रियां अन्नाराम वगै0 जाति जाट निवासी जाति जाट निवासीगण ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर हाल बीदासर जिला चुरू ने एक वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अमराराम पुत्रगण स्व. मालाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रस्तुत करते हुवें अभिवेचन किया कि वादग्रस्त अराजीयात वाके मौजारोही हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर के पुराने खसरा सं. 215 तादादी 11.22 हैक्ट, खसरा सं. 216 मि. तादादी 0.01 हैक्ट, खसरा सं. 216 मि. तादादी 22.00 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 (मृतक रामूराम) के दादा व परदादा स्व. जेठाराम की खातेदारी भूमि रही है। जो स्व. जेठाराम के देहान्त के बाद वादी संख्या 1 ता 5 के पिता, वादी संख्या 6 के दादा ससुर व वादी संख्या 7 ता 12 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 (प्रतिवादी संख्या 4 मृतक रामूराम का हिस्सा पक्षकार के रूप में संयोजित उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/11 में निहित हुआ है) के पिता के नाम से 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज [illegible] पश्चात् अन्नाराम व मालाराम पुत्रगण जेठाराम का स्वर्गवास होने [illegible] के पुराने खसरा सं. 215 के नये खसरा सं. 131 [illegible] खसरा सं. 216 मि. से 2 नये खसरा सं. 132 व 133 बने जिसमें क्रमशः 0.01 हैक्ट व 22.01 हैक्ट कायम हुए, जिनकी खातेदारी वादी संख्या 1 ता [illegible] वादी संख्या 6 के पति व वादी संख्या 7 ता 12 के पिता स्व. नारायणराम, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई। नारायणराम के स्वर्गवास व उनके एक पुत्र रामूराम लावल्द फौत होने से स्व. नारायणराम के जिवित कानूनी वारिसानों को वादी संख्या 6 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी

12 के रूप में संयोजित किया गया है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण स्व. जेठाराम में वारिसान है, जो पहले कस्बा बीदासर में संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार में रहते हुवे ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 (प्रतिवादी संख्या 4 मृतक रामूराम) ने मौखिक तौर पर खेतों का आपसी बंटवारा कर सम्वत 2021 में अलग-अलग हुए तब स्व. अन्नाराम के हिस्से ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 हिस्से में आये व ग्राम हरीनगर स्थित खेत खसरा सं. 1046, 1047 व 1049 की भूमि स्व. मालाराम के हिस्से में आई। उक्त बंटवारें अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण आज भी अपने-अपने हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 जैसाराम का नाम स्व. मालाराम की मृतक पुत्री कमलादेवी का पति होने से उनके वारिसानों के रूप में खसरा सं. 131, 132, 133 में दर्ज हुआ है, जो प्रारम्भ से ही गलत, अवैध व शून्य है, जिसका मौका पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।

वादीगण लगभग 50 वर्षों से मौखिक रूप से हुवे पारिवारिक समझौते/बंटवारे अनुसार बेरोक-टोक कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादीगण के हिस्से मुं आई ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड़ में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम दर्ज रिकॉर्ड़ होने से वादीगण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह रहे है। इस हेतु जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खाता विभाजन हेतु कहा गया तब वे टालम-टोल करने लगें तथा वादीगण को 50 वर्षों से मौखिक बंटवारे/समझौते से प्राप्त भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है।

अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वीकार किया जाकर 50 वर्षों से मौखिक बंटवारे के अनुसार वादीगण को प्राप्त ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 की 33.24 हैक्ट भूमि को वादी संख्या 1 ता 5 के नाम से 5/6 हिस्सा व वादी संख्या 6 ता 12 के नाम से 1/6 हिस्से की खातेदारी कब्जा काश्त के आधार पर घोषणा की जावें। तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज भूमि को राजस्व रिकॉर्ड़ से हटाया जाकर वादीगण के नाम से दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण को चिरनिषेधाज्ञा इस आशय से वर्जित फरमावे कि वे वादगत खेतों में प्रवेश ना करें, कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करें, ना ही किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल करें और ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करे जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर कोई विपरित असर पड़ता हो।

इस वाद पत्र के प्रतिवादीगण को बनाम मुदायलाह बिनावत कायमी तनकीयात दिलाया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अभिभाषक श्री राजूराम ने जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों को स्वीकार कर कथन किया कि वादगत भूमि वाके ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 तादादी 33.24 हैक्ट को राजस्व रिकॉर्ड़ में वादीगण के वाद अनुसार किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस में वादीगण ने वाद पत्र में अंकित

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तथ्यों को दोहराते हुवें कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पुर्वजों की पुश्तैनी कृषि भूमि है। तथा यह भी कथन किया कि वादीगण लगभग 50 वर्षों से मौखिक रूप से हुवे पारिवारिक समझौते/बंटवारे अनुसार ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूगँरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 तादादी 33.24 हैक्ट भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त समझौते अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 हरीनगर तहसील बीदासर जिला चुरू में स्थित भूमि पर काबिज काश्त है। अतः वादग्रस्त भूमि वावत् अंतिम डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 इस आशय की जारी करवाने का अधिकारी है कि वादगत भूमि के वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 (मय 4/1 ता 4/11) के अभिभाषक ने अपनी सहमति मय राजीनामा व उपखण्ड़ अधिकारी बीदासर जिला चुरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2020 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है। जिसमें हरीनगर बीदासर में स्थित कृषि भूमि में से वादीगण का हिस्सा को प्रतिवादीगण के नाम से खातेदार घोषित किया गया है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के अभिभाषक ने वाद पत्र का निस्तारण करने का निवेदन करते हुवें कहा कि उक्त खाते को वादीगण के कब्जे काश्त के आधार से विभाजन/निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में पत्रावली व बहस पर मनन के बाद यह प्रकट होता है कि वादगत अराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई। उक्त वादगत अराजी में वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को भी कोई उज्र उतराज नहीं हैं। ऐसे में उक्त वादपत्र का निस्तारण करने में कोई विधिक समस्या नहीं नजर आती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि वादगत आरजी ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूगँरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 तादादी 33.24 हैक्ट भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन कर उक्त भूमि को वादी संख्या 1 ता 5 के नाम से 5/6 हिस्सा व वादी संख्या 6 ता 12 के नाम से 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2021 को मेरे द्वारा सुनाया एवं लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत..... उपखण्ड़ अधिकारी .....मुकाम.....श्रीडूँगरगढ़

बइजलास : दिव्या, आर.ए.एस.

कानाराम वगै0 — : बनाम : — अमराराम वगै0

राजस्व वाद संख्या :— 104/2019

जी.सी.एम.एस. संख्या :— 2019/00217

अन्तर्गत धारा :— 88, 188, 209 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मांगीलाल नैण, अभिभाषक मिनजानिब मुदई व श्री रामूराम बाना, अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह व पैरोकारराज पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ वादगत आरजी ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा सं. 131, 132 व 133 तादादी 33.24 हैक्ट भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन कर उक्त भूमि को वादी संख्या 1 ता 5 के नाम से 5/6 हिस्सा व वादी संख्या 6 ता 12 के नाम से 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नीज .....मुबलिक .....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल यानी तक .....-..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक15/12/ .2021 को डिक्री जारी की गई।

दस्तखत .....

ओहदा.....

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुदई	रूपया	नं.पै.	मुदायला	रूपया	नं.पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)